मुकदमा नम्बर 87/2021

CNR No. [illegible]

न्यायालय [illegible] अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मघाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी [illegible] तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

[illegible]

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (भू.अभि.) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

बनाम

उपस्थिति –

1. श्री [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी

2. [illegible] स्टेट की तरफ से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह प्रार्थना पत्र मघाराम ने अतिरिक्त अधिकारी के समक्ष पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 136/21 तादादी 3.51 हैक्टेयर [illegible] पटवार हल्का धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे स्थित है जिस प्रार्थी का ही कब्जा व उपभोग चला आ रहा है। उक्त खसरा भूमि का [illegible] प्रार्थी का नाम मघाराम की जगह मालाराम लिख दिया गया, जबकि प्रार्थी का नाम मघाराम पुत्र पेमाराम है। खातेदारी मे सहवन से मघाराम पुत्र पेमाराम की जगह मालाराम पुत्र पेमाराम दर्ज कर दिया गया, जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी को जब उपरोक्त खसरा की भूमि पर के.सी.सी. बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व राजस्व रिकार्ड की नकलें दिनांक 19.02.2021 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी के उक्त खातेदारी के खेत के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम गलत रूप से मालाराम पुत्र पेमाराम अंकित चला आ रहा है, जो आगे चौसाला जमाबन्दियों मे भी उक्त नाम चलता रहा, जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शुरू से ही मघाराम पुत्र पेमाराम रहा है। प्रार्थी कृषि पेशा व अनपढ़ व्यक्ति है तथा कृषि पेशा व्यक्ति होने के कारण व कृषि कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कभी अपने राजस्व रिकार्ड को नही संभाला। प्रार्थी अनपढ़ व कृषि पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड मे गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम की कभी कोई जानकारी नही रही है। प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकलें लेने पर ही सारी जानकारी हो पाई है। प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आदि मे भी प्रार्थी का नाम मघाराम पुत्र पेमाराम अंकित चला आ रहा है। प्रार्थी को अपने गांव व रिश्तेदारी, परिवार आदि मे मघाराम पुत्र पेमाराम के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के नाम के संबंध मे सरपंच, ग्राम पंचायत धर्मास द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया [illegible] मालाराम उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के नाम है जो प्रार्थी के ही नाम है। उप[illegible] दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तु[illegible] उक्त खसरा की भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम [illegible] पेमाराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त खसरा भूमि में प्रार्थी का गलत नाम मालाराम पुत्र पेमाराम अंकित होने के कारण प्रार्थी को उपरोक्त खसरा भूमि पर के.सी.सी. बनाने, ट्यूब बनाने व अन्य कई

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:10:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

[illegible] राशि से भी वंचित हो रहा है [illegible] यह है कि वर्णित खसरा भूमि में प्रार्थी [illegible] गया है, इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 19.02.2021 [illegible] मघाराम है तथा मेरे सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड [illegible] पेमाराम चला आ रहा है परन्तु [illegible] पेमाराम अंकित चला आ रहा है जिसे शुद्धिकरण [illegible] अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि [illegible] सकते, इसलिए आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के [illegible] में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी के नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। यह है कि वर्णित खसरा भूमि ग्राम [illegible] तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है व प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 238/21 तादादी 3.71 हैक्टेयर वाकेरोही हथाणा पटवार हल्का धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम मालाराम पुत्र पेमाराम अंकित हुआ है उसकी जगह मघाराम पुत्र पेमाराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 238/21 तादादी 3.71 हैक्टेयर वाकेरोही हथाणा पटवार हल्का धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम मालाराम पुत्र पेमाराम अंकित हुआ है उसकी जगह मघाराम पुत्र पेमाराम नाम शुद्ध करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें।

आदेश आज दिनांक 5.4.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर की जावे/आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:10:08 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)